उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-13/2018/एस-2-220/दस-2018-133(76)/2017

लखनऊ :: दिनॉक:: 31 जनवरी,2018

कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा ग्रेड वेतन रू0 8700/- के अधिकारी श्री शशिभूषण सिंह तोमर, तत्कालीन मुख्य कोषाधिकारी, आगरा को शासन के आदेश संख्या-40/2017/एस-2-2771/दस-2017-88क(6)/2017, दिनॉक 24-10-2017 द्वारा वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। जिलाधिकारी, आगरा के पत्र दिनॉक 30-11-2017 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री तोमर दिनॉक 27-10-2017 को कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त मेडिकल कालेज का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे मरीजों के उपचार संबंधी वृहद बिलों के रूकने एवं समस्त वित्तीय कार्य लम्बित है। अतएव शासन के आदेश संख्या-एस-2-3159/दस-2017-88क(10)/2017, दिनॉक 14-12-2017 द्वारा श्री तोमर को निलम्बित कर अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, आगरा मण्डल, आगरा के कार्यालय से सम्बद्ध करते हुए श्री तोमर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक जॉच संचालित किये जाने एवं जॉच के निष्पादन हेतु आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को जॉच अधिकारी नामित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त आदेशों के विरूद्ध योजित रिट याचिका संख्या-1197/2018 शशिभूषण सिंह तोमर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनॉक 10-1-2018 को पारित आदेशों के समादर में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा ग्रेड वेतन रू0 8700/- के अधिकारी श्री शशिभूषण सिंह तोमर का निलम्बन निरस्त करते हुए सेवा में बहाल करने एवं अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद, आगरा मण्डल, आगरा (ग्रेड पे रू0 8700) के पद पर तैनात करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

3- श्री शशिभूषण सिंह तोमर के विरूद्ध उक्तानुसार प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ववत् [redacted] रहेगी, और जॉच अधिकारी आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा विधिवत् जॉच [redacted]र जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

संजीव मित्तल

प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2018/ एस-2-220(1)/दस-2018,तददिनॉक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।

2- आयुक्त/सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4- जिलाधिकारी, आगरा।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, आगरा मण्डल, आगरा।
8- मुख्य कोषाधिकारी,आगरा।
9- संबंधित अधिकारी।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।